

## प्रपत्र-2

### भाग-I

#### (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव - / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
- (ख) 1:50,000 स्कैल मैप पर दन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
- (ग) परियोजना की लागत।
- (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।
- (ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)
- (च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

आरक्षित वन भूमि	:- 2.2400 हेए
मलवा निस्तारण हेतु भूमि	:- 0.3945 हेए
सिविल सोयम भूमि	:- 1.6275 हेए
मलवा निस्तारण हेतु भूमि	:- 0.1500 हेए
योग	:- 4.4120 हेए

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :- लागू नहीं है।
- (क) परिवारों की संख्या
- (ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के
- (ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हाँ / नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की व्यवस्था (व्यवस्था संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।

दिनांक .....  
रक्तावली

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान .....  
रक्तावली

नाम- .....  
रक्तावली

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,  
रुद्रप्रयाग

सहायक अधियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,  
रुद्रप्रयाग

अधिकारी अधियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,  
रुद्रप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा

प्रपत्र-3

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्कर योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गुलाबराय-तूना मोटर मार्ग के किमी 0.200 से चिनग्वाड मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 किमी) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :-  
(i) राज्य / संघराज्यकोष  
(ii) जिला  
(iii) जिला वन प्रभाग  
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
8. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः :-
9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:-  
(i) वन का प्रकार  
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व  
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणना  
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
10. भूकरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणि :-
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : - 2.24 Km
12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :-  
(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :- घुरड़, कारकड़, अम्बुलदार, आदि  
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)  
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा

से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बारे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी :-  
गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बारे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके बारे

नहीं

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका बौरा दें)

नहीं

14. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :

(i) क्या भाग - 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए

न्यूनतम व अपरिहार्य

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश कि

X

15. किए गए अतिकमण के बारे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं)

नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए

नहीं

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं)

नहीं

(iv) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं)

नहीं

(v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यव्यय अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बारे संलग्न हैं (हां / नहीं)।

हां

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

संलग्न

(vii) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)।

हां

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)।

हां

18. स्त्रीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट परियोजना, विकास कार्यों से सम्बन्धित हों, सिफारिश दीजानी

दिनांक.....

हस्ताक्षर

स्थान... रुद्रप्रयाग

नाम

उप वन संरक्षक<sup>अ. च. विजयलक्ष्मी</sup>  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गुलाबराय—तूना मोटर मार्ग के किमी 2.00 से चिनग्वाड मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 किमी) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग-III

- 19 क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन :-  
संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो  
निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की  
तारीख संलग्न की जाय।
- 20 क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन :-  
संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
- 21 विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए :-  
वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

हस्ताक्षर:

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान.....

सरकारी मोहर